शालिनी बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एवं एक अन्य

18 जनवरी, 2002

[आर. सी. लाहोटी और के. जी. बालाकृष्णन, न्यायाधिपतिगण]

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम 1986 : Sec.11 (5) - विश्वविद्यालय कैलेंडर का आदेश - IV - Vol. II खंड 18 पुनः मूल्यांकन आवेदन की प्रयोज्यता परिणाम की घोषणा के 20 दिनों के भीतर या विश्वविद्यालय द्वारा विस्तृत अंक पत्र भेजे जाने के 20 दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, प्रस्तुत किया जा सकता है - आवेदक सीमा की शुरुआत को चिह्नित करने वाली दो घटनाओं में से किसी एक से गणना की गई सीमा की विस्तारित अवधि का लाभ उठा सकता है, जो भी बाद में हो - आवेदक को परिणाम घोषित करने, विस्तृत अंक पत्र भेजने और उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने में विश्वविद्यालय की ओर से देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

याची /अपीलार्थी बी. एससी. (गृह विज्ञान) भाग - I की परीक्षा जो कि प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय द्वारा माह अप्रैल, 2000 के महीने में आयोजित की गई, में उपस्थित हुये और उन्हे असफल घोषित किया गया था। उसने पुनर्मूल्यांकन के लिये आवेदन किया था। हालांकि, विश्वविद्यालय ने मूल विस्तृत अंकतालिका के अभाव में आवेदन को

अस्वीकार कर दिया। इसके पश्चात दिनांक 6.11.2000 को मूल विस्तृत अंकतालिका प्राप्त होने पर, उसने फिर से मूल विस्तृत अंकतालिका को संलग्न करते हुये पुर्नमूल्यांकन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया। पुर्नमूल्यांकन होने पर उसे 56 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुये उत्तीर्ण घोषित किया गया था और दिनांक 20.1.2001 को परिणाम प्राप्त किया, लेकिन बी. एस. सी. द्वितीय वर्ष में अत्यधिक देरी होने के आधार पर प्रवेश देने से इंकार कर दिया। उसने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये और प्रत्यर्थी विश्वविद्यालय को एक अंतरिम आदेश के जरिये उसे अस्थाई तौर पर प्रवेश देने के लिये निर्देशित किया गया – उसको नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसे एक निजी उम्मीदवार के रूप में परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी और उसका परिणाम घोषित नहीं किया गया था। उसके द्वारा रिट याचिका लंबित रहने के दौरान परीक्षा परिणाम प्रस्तुत करने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 11 (5) में दी गई सीमा से परे पुनर्मूल्यांकन आवेदन जमा करने के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया गया। इसलिए यह

अपील की गई है। अपील को स्वीकार करते हुये, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया -

1.1. पुनर्मूल्यांकन के लिये आवेदन पत्र को वैध बनाने के लिये मूल विस्त्रत अंकतालिका और पूरी फीस उसके साथ संलग्न करनी होगी और परिणाम की घोषणा की तारीख से 20 दिनों के भीतर या विस्तृत अंकतालिका के प्रेष्ण की तारीख से 20 दिनो के भीतर, जो भी बाद में हो, विश्वविद्यालय कार्यालय मे जमा कराना होगा, प्रासंगिक खंड स्वंय एक आवेदक को सीमा की शुरूआत को चिन्हित करने वाली दो घटनाओ में से एक जो भी बाद में हो, का लाभ लेने की अनुमति देकर सीमा की एक विस्तारित अवधि प्रदान करता है। इसलिये विस्त्रत अंकतालिका के प्रेषण के 20 दिनो के भीतर पुर्नमूल्यांकन के लिये प्रार्थना करना उचित है। परिणाम घोषित करने, विस्त्रत अंकतालिका भेजने और अपीलकर्ता की उत्तर पुस्तिकाओ के पुनर्मूल्यांकन मे विश्वविद्यालय की ओर से हुई देरी के लिये अपीलकार्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलकर्ता ने सभी कदम तुरंत उठाये है और कोई देरी नहीं की गई है। प्रतिवादी या उच्च न्यायालय से संपर्क करने में कोई भी कदम उठाने में अपीलकर्ता की ओर से लापरवाही या ढिलाई नहीं की गई है। (350 – ई - एच)

1.2. अपीलार्थी को बी.एससी. (एच.एससी.) भाग II का नियमित छात्र माना जाना चाहिए और उसका परिणाम भी उसे एक नियमित छात्र मानते हुये घोषित किया जाना चाहिए। अपीलार्थी बीएससी (एच. एससी.) Pt.III शिक्षण पाठयक्रम में प्रवेश के लिये विश्वविद्यालय का उपकुलपति/ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करेगी और प्रवेश लेने में देरी को माफ करने के लिये विश्वविद्यालय को नियंत्रित करने वाले अधिनियम,अध्यादेश या कनून के तहत यदि उपलब्ध हो तो शक्ति का उपयोग करना । अन्यथा अपीलकर्ता उक्त पाठयक्रम के भाग III में प्रवेश का हकदार होगा। उक्तपाठयक्रम अगले सत्र में प्रारंभ होगा। (351–सी - जी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार - सिविल अपील सं. 544 / 2002

सिविल रिट याचिका संख्या 1546/2001 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय व आदेश दिनांक 14/9/2021 के विरूद्व।

निधेश गुप्ता, नवीन सिंह – सुश्री एस. जनानी के लिये, अपीलार्थी के लिए ।

नीरज कुमार जैन, आदित्य कुमार चौधरी और भरत सिंह - यू. एस. प्रसाद के लिए, प्रत्यर्थी के लिये।

न्यायालय का निर्णय आर. सी. लाहोटी, न्यायाधिपति द्वारा पारित किया गया था।

याची, बी. एससी. (गृह विज्ञान) भाग-I की परीक्षा जो प्रत्यर्थी संख्या 1 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई, सरकारी कॉलेज, पंचकूला प्रत्यर्थी संख्या 2 की एक नियमित छात्रा के रूप में उपस्थित हुई, जो कि माह अप्रैल, 2000 में आयोजित की गई थी। दिनांक 07/08/2000 को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था और याची को 'असफल' घोषित कर दिया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेज को भेजे गए एक अस्थायी विस्तृत अंक-पत्र को कॉलेज द्वारा 20.8.2000 को प्राप्त किया गया था और याची द्वारा 21.8.2000 को प्राप्त किया गया। दिनांक 13.9.2000 को याची ने पुनर्मूल्यांकन के लिये के लिए आवेदन किया था जिसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन निर्धारित समय से परे किया गया था अत: याची ने अस्वीकृति पर पुनर्विचार करने की मांग की थी, लेकिन विश्वविद्यालय ने अपने दिनांक 3/11/2000 के सूचना के माध्यम से याची को सूचित किया कि न केवल आवेदन देर से प्राप्त हुआ था, बल्कि पुनर्मूल्यांकन के लिए अनुरोध पोषणीय नहीं था क्योंकि याची का मूल विस्तृत अंक पत्र ('डीएमसी', संक्षेप में) तब तक प्राप्त नहीं हुआ था।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी विस्तृत अंक-पत्र कॉलेज में दिनांक 6/11/2000 को पहुंचा और याची द्वारा उसी दिन प्रापत किया गया। एक बार फिर दिनांक 8.11.2000 को याची ने मूल विस्तृत अंक-पत्र के साथ पुनर्मूल्यांकन आवेदन प्रस्तुत किया, जो अब याची के पास उपलब्ध है। प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र पर कार्यवाही की गई। विश्वविद्यालय द्वारा पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग दो महीने का समय लगा और दिनांक 17.1.2001 की सूचना के माध्यम से, याची द्वारा दिनांक 20.1.2001 को प्राप्त किया गया, याची को 56 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बाद 'सफल' घोषित किया गया। याची ने बी. एस. सी. भाग-II वर्ग में स्वंय को प्रवेश देने के लिए कॉलेज के प्राचार्य को आवेदन किया, जिसे याची की ओर से प्रवेश की मांग में अत्यधिक देरी के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था। उसी दिन याची ने विश्वविद्यालय के उपकुलपति से भी संपर्क किया था, लेकिन उसकी प्रार्थना केवल संक्षिप्त तौर पर अस्वीकृत कर दी गई।

प्रत्यर्थियों द्वारा अपनी शिकायत के निवारण की सभी उम्मीदें खो देने के बाद, याची ने एक रिट याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ में दायर करते हुये दरवाजा खटखटाया। दिनांक 1.2.2001 को उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किये और एक अंतरित आदेश द्वारा प्रत्यर्थियों को याची को आगे के आदेशों के अधीन अस्थायी

प्रवेश देने के भी निर्देश दिये। न्यायालय के आदेश के तहत याची द्वारा उसके प्रवेश की तारीख के बाद से नियमित रूप से कक्षाएं लेना शुरू किया, प्रत्यर्थी ने उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दी, लेकिन केवल एक निजी अभ्यर्थी के तौर पर। हालांकि, उसका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया था। उसने अपनी लंबित रिट याचिका में एक आवेदन दायर किया जिसमें उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के जरिये प्रत्यर्थीगणो को उसका परिणाम घोषित करने के लिए अनुरोध किया। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.9.2001 को विचार के लिए आवेदन पत्र लिया, लेकिन यह राय बनाते हुये कि याचिका मेकोई योग्यता नहीं थी, रिट याचिका को ही खारिज करते हुये उसका निपटारा कर दिया इस आधार पर कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन न तो परिणाम के प्रकाशन के 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया गया था और न ही विस्तृत अंकतालिका भेजने के 20 दिनों के भीतर। उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर विशेष अनुमति की मांग करते हुये यह अपील दायर की गई है।

अनुमति दी गई।

विश्वविद्यालय कैलेंडर - Vol.II के अध्यादेश IV के खंड 18 का प्रासंगिक भाग, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 11 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया, निम्नानुसार पठनीय हैः

"18.1A थ्योरी पेपरों में परीक्षा के लिए उम्मीदवार को मूल विस्तृत अंक तालिका और पुनर्मूल्यांकन शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन जमा करने पर विशिष्ट परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तारीख के 20 दिनों के भीतर या विश्वविद्यालय कार्यालय द्वारा विस्तृत अंक तालिका भेजने की तारीख के 20 दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो, थ्योरी पेपरों में उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति दी जाएगी।

XXX XXX XXX

उपरोक्त प्रावधान को केवल मात्र पढ़ने से पता चलता है कि उच्च न्यायालय के द्वारा गलती की गई है। पुनर्मूल्यांकन के लिये आवेदन को वैध होना चाहिये - (i) मूल विस्तृत अंक तालिका और पूर्ण शुल्क के साथ, और (ii) परिणाम की घोषणा की तारीख से 20 दिनों के भीतर या विश्वविद्यालय कार्यालय द्वारा विस्तृत अंक तालिका भेजे जाने की तारीख से 20 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय कार्यालय में दिया जाना चाहिए, जो भी बाद में हो। पूर्व में अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन के साथ अस्थाई अंक तालिका संलग्न की गई थी। विश्वविद्यालय द्वारा अपने दिनांक 3.11.2000 की सूचना में लिए गए आधार से पता चलता है कि मूल डीएमसी के अभाव में, विश्वविद्यालय पुनःमूल्यांकन के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। किसी भी

मामले में प्रासंगिक खंड आवेदक को सीमा की एक विसतारित अवधि के लिये उपलब्ध कराता है, जिससे उसे सीमा की शुरूआत को चिन्हित करने वाली दो घटनाओ में से एक का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है, जो भी बाद में हो। अपीलार्थी द्वारा, इसलिये अंकतालिका भेजने की दिनांक से 20 दिनो के अंदर पुनर्मूल्यांकन के लिये प्रार्थना करना सही था। ऐसे आवेदन का प्रेषण एक वैध आवेदन होने के कारण और सीमा की अवधि के भीतर (वास्तव में, दो दिनों के भीतर) दायर किया गया था जिसे विश्वविद्यालय द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता था क्योंकि विश्वविद्यालय की ओर से परिणाम घोषित करने, डीएमसी को भेजने और अपीलार्थी के उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन करने में देरी हुई थी। अपीलार्थी ने सभी कदम प्रकरण में तुरंत और तथ्यों और परिस्थितियों में उठाए हैं, मामले में हम एक राय नहीं बना सकते हैं, यहां तक कि प्रथम दृष्टया, कि प्रत्यर्थियों या उच्च न्यायालय से संपर्क करने में कोई भी कदम उठाने में अपीलार्थी की ओर से किसी भी देरी, पश्चाताप या लापरवाही होना बताया गया है। हमे यह बताया गया है कि बी. एससी. (एच. एस. सी.) भाग - 2 का परिणाम प्रत्यर्थीगणो द्वारा अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है और इस तरह के परिणाम घोषित किए जाने के अभाव में, अपीलार्थी को बी. एससी. (एच. एस. सी.) भाग III में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है।

बिना किसी हिचकिचाहट के हमारी राय है कि अपीलार्थी को बी. एस. सी. (एच. एस. सी.) भाग II के नियमित छात्र के रूप में माना जाना चाहिए और उसका परिणाम भी उसे नियमित छात्रा मानते हुए घोषित किया जाना चाहिए। हालांकि उसे बी.एससी. (एच. एस. सी.) भाग - 3 के पाठयक्रम में एक नियमित छात्रा के तौर पर प्रवेश देने में कठिनाई होती है। प्रत्यर्थीगणो के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि शैक्षणिक वर्ष का प्रमुख भाग समाप्त हो गया है, अपीलार्थी ने व्याख्यानों में भाग नहीं लिया है, प्रैक्टिकल मे भाग नही लिया है और उपस्थिति की भी कमी होगी, जिसे माफ या नियमित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को उसकी बिना किसी गलती के प्रत्यर्थीगणो या प्रकरण में व्यर्थ हुए समय तक उत्पन्न स्थिति के कारण पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होने आगे प्रस्तुत किया कि विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पास देरी को माफ करने और एक व्यक्तिगत मामले की परिस्थितियों के अनुकूल उचित निर्णय लेने की शक्ति है ताकि किसी व्यक्ति के साथ किए गए अन्याय को दूर किया जा सके। हालांकि इस संबंध में कोई विशिष्ट प्रावधान या कोई अन्य सिद्वांत दोनो पक्षकारो में से किसी के भी द्वारा हमारे विचार में नहीं लाया गया है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी राय है कि निम्नलिखित निर्देश न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेंगेः

(1) अपीलार्थी को बी. एससी. (एच. एस. सी.) भाग II के अध्ययन का पाठ्यक्रम के लिये नियमित छात्रा के रूप में माना जाएगा और उसकी परीक्षा का परिणाम तुरंत घोषित किया जाएगा;

(2) अपीलार्थी बी. एससी. (एच. एससी.) भाग III अध्ययन का पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के उपकुलपति या इस संबंध में सक्षम किसी अन्य प्राधिकारी को आवेदन करेगी और विश्वविद्यालय को नियंत्रित करने वाले अधिनियम, अध्यादेश या कानूनों के तहत यदि कोई अधिकार है, तो प्रवेश की मांग में हुई देरी को माफ करने के लिए अपीलार्थी अगले सत्र में शुरू होने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम बी. एससी. (एच. एससी.) भाग III में प्रवेश की हकदार होगी।

हम तदनुसार आदेश देते हैं और उपरोक्त शर्तों में अपील का निपटारा करते हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अपील निस्तारित की गई।

□□□□□□□□□- □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□ □ □□□□□□□□□ □□ □ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □ □ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□ □ □□□□□ □ □□ □ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□ □ □ □ □ □□ □ □ □ □□□□□ □ □ □□□□ □□□□□□□□